



F-07-08  
F-07-11

**सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र**  
**CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION**

**IS/ISO: 9001:2008**

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन  
**DEFENCE R&D ORGANISATION**  
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय  
**GOVERNMENT OF INDIA**  
**MINISTRY OF DEFENCE**  
मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु  
**MARATHAHALLI COLONY P.O**  
**BENGALURU - 560 037.**

**वर्ग अनुमोदन सं.: 1712 का संशोधन सहित नवीकरण**

**Amendment cum Renewal of Type Approval No.:1712**

**विषय / Sub:- एल सी ए (एयर फोर्स वर्जन) हेतु कार्बन-कार्बन ब्रेक डिस्क (मार्क- III ) कंपोनेंट्स**  
**Carbon-Carbon Brake Discs (Mark – III) components**  
**for LCA (Air Force Version)**

यह घोषित किया जाता है कि हाई टेंपरेचर कॉम्पोजीट्स सेंटर (एचटीसीसी), उन्नत प्रणाली प्रयोगशाला, डी आर डी ओ, कंचनबाग पी.ओ, हैदराबाद- 500 058, द्वारा अभिकल्पित और विकसित तथा मेसर्स ग्रेफाइट इंडिया लिमिटेड, विश्वेश्वरय्या इंडस्ट्रियल एरिया, व्हाइटफील्ड मेन रोड, बेंगलूरु-560 048 द्वारा उत्पादित " कार्बन-कार्बन ब्रेक डिस्क (मार्क- III ) कंपोनेंट्स " जैसे कि (1) सिंगल स्टेटर पार्ट सं. 153100014-002, (2) डबल स्टेटर, पार्ट सं. 151300015 – 002, (3) रोटर सब-असेंबली, पार्ट सं. 153109000 – 113, (3ए) सी.सी रोटर, पार्ट सं.1531109001 – 002, (3बी) रिवेट (निमोनिक – 75), पार्ट सं. 153106003 – 004 और (3सी) रोटर क्लिप (नाइलो-के), पार्ट सं.153106002-003 को संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1712, दिनांक 22 मार्च 2012, द्वारा वर्ग अनुमोदन सं. 1712 जारी किया गया था जिसकी वैधता 31 दिसंबर 2016 तक था।

*This is to state that the "Carbon-Carbon Brake Discs (Mark – III) Components" namely: (1) Single Stator, Part No. 153100014 – 002, (2) Double Stator, Part No. 151300015 – 002, (3) Rotor Sub-Assembly, Part No. 153109000 – 113, (3a) C.C Rotor, Part No. 1531109001 – 002, (3b) Rivet (Nimonic – 75), Part No. 153106003 – 004 and (3c) Rotor Clip (Nilo – K), Part No. 153106002-003 designed and developed by High Temperature Composites Centre (HTCC), Advanced Systems Laboratory, DRDO, Kanchanbah PO, Hyderabad – 500 058 and manufactured by , M/s Graphite India Limited, Visvesvaraya Industrial Area, Whitefield Main Road, Bengaluru – 560 048 was issued with Type Approval No.1712, vide Ref. No.: CEMILAC/5070/TA-1712, dated: 22<sup>nd</sup> March 2012, with its validity up to 31<sup>st</sup> December 2016.*



यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण 01 जनवरी 2017 से संतोषजनक निष्पादन फीडबैक के आधार पर किया जाता है तथा 31 दिसंबर 2021 तक वैध है। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर.सी.एम.ए.(पदार्थ), सेमिलैक, डीआरडीओ, रक्षा मंत्रालय, पी.ओ.कंचनबाग, हैदराबाद-500 058, से अनुरोध करना होगा। वर्ग अनुमोदन पत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी।

*This is to certify that this Type Approval is hereby renewed w.e.f. 01<sup>st</sup> January 2017 based on the satisfactory performance feedback and is valid up to 31<sup>st</sup> December 2021. For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA (Materials), CEMILAC, DRDO, Ministry of Defence, PO Kanchanbagh, Hyderabad – 500 058, three (03) months before the expiry of Type Approval with all relevant documents including users performance feedback, quantity produced & rejection, if any, and its cause. All other conditions stipulated in the Type Approval Certificate remain unaltered.*

3. संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1712, दिनांक 22 मार्च 2012 द्वारा जारी मूल वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र के अनुच्छेद चार (04) निम्नलिखित संशोधन लागू है।

*The Para Four (04) of original Type Approval Certificate vide Reference No.: CEMILAC/5070/TA-1712, dated: 22<sup>nd</sup> March 2012 is amended as stated herewith.*

“अगर इस संलग्न टाइप रिकॉर्ड के वर्ग अनुमोदन, एसओपी और घोषित निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलैक), बेंगलूरु की पूर्व सहमति लेनी होगी। यह वर्ग अनुमोदन किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।”

*“[Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru, is to be obtained to adopt any changes in the Type Approval, SOP and in the declared performance indicated in the enclosed Type Record. The Type Approval is not at all transferable to any other agency]”.*

4. प्रारंभिक वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी और पूर्णतः लागू होंगे।

*All other conditions stipulated in the initial type approval certificate remain unaltered, and fully applicable.*

सं./No. : सेमिलैक /CEMILAC/5070/टी.ए/TA-1712/1R

दिनांक /Date : 10 March 2017

फैक्स सं. / Fax No: 080-25230856



  
पी. जयपाल / P. JAYAPAL  
मुख्य कार्यपालक (उड़नयोग्यता)  
Chief Executive (Airworthiness)